



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011/वैशाख 12, 1933

No. 226]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

कृषि मंत्रालय

( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 353(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मत्स्य उद्योग कर्मी संस्थान (वर्ग 1 और वर्ग 2 तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक अनुदेशक (प्रचालन) एवं सहायक अनुदेशक (क्राफ्ट और गियर) तथा केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी सहायक (मत्स्य प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2008 से संबंधित पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में अनुदेशक (मत्स्य प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, अनुदेशक (मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुदेशक (मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिकी)	8* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300-34800 रुपये और ग्रेड वेतन 4200 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
<p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

(7)

(8)

(9)

**आवश्यक :**

लागू नहीं

दो वर्ष

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणी विज्ञान अथवा मात्स्यिकी उद्योग अथवा मछली उद्योग में मास्टर डिग्री ; अथवा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई से मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

(2) समुद्री मत्स्यन, मत्स्य संभार रूपांकन में एक वर्ष का अनुभव ।

अथवा

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान (नौचालन विज्ञान) में बैचलर डिग्री

(2) समुद्री मत्स्यन, मत्स्य गियर रूपांकन में तीन वर्ष का अनुभव ।

(7)

टिप्पण : 1—अर्हताएं अथवा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करते हुए, शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2—अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के अनुसार, कारणों को अभिलिखित करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पवांप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

सीधी भर्ती।

लागू नहीं होता

टिप्पण :—यदि पदधारी के प्रतिनियुक्ति या बीमारी के कारण दीर्घकाल या अध्ययन अवकाश या कोई अन्य कारणों से एक साल या उससे अधिक समय तक रिक्ति होने पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाए।

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए + 2800 रुपए ग्रेड वेतन या समतुल्य नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव है।

प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. निदेशक, केंद्रीय मत्स्य उद्योग, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन —अध्यक्ष
2. अवर सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य
3. मत्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मत्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य
4. ज्येष्ठ अनुदेशक (मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिकी), केंद्रीय मत्स्य उद्योग, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन —सदस्य

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2011

**G.S.R. 353(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class I and Class II Technical Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Assistant Instructor (Operations) and Assistant Instructor (Craft and Gear) and the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Technical Assistant (Fishing Technology) Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Instructor (Fishing Technology) in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Instructor (Fishing Technology) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and pay band, grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Instructor (Fishing Technology)	8* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(6)

**Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(7)

(8)

(9)

(i) Master's Degree in Zoology or Fishery Science or Industrial Fisheries from a recognized university; or Post Graduate Diploma in Fishery Science from Central Institute of Fishery Education, Mumbai.

Not applicable

Two years

(ii) One year experience in Sea Fishing and Gear Fabrication; or

(i) Bachelor of Fishery Science (Nautical Science) from a recognized university.

(ii) Three years experience in Sea Fishing and Gear Fabrication.

**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of Selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption, to be made

(10)

(11)

Direct recruitment

Not applicable

**Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other cir-

1557 GI/11-2

(10)

cumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on, regular basis in post in pay band-1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

The maximum age for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation consisting of)—

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin   | —Chairman |
| 2. Under Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries  | —Member   |
| 3. Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member   |
| 4. Senior Instructor (Fishing Technology), Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin             | —Member   |

[F. No. 3-30/2007-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.